

भारत सरकार

बनाम

जी. लिम्बदरी राव और अन्य

22 सितंबर, 2004

[के. जी. बालकृष्णन और डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे. जे.]

सेवा कानून:

आई. ए. एस. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997-विनियम 4-आई. ए. एस. के पद पर चयन द्वारा नियुक्ति वर्ष 2002 लिए चयन सूची तैयार करना।

सरकारी आदेश में अनजाने में वर्ष 2001 के रूप में गलत उल्लेख किया गया- 1.1.2002 से गणना किए गए अधिकारियों की पात्रता-वर्ष 2001 के लिए चयन सूची को मानते हुए 1.1.2001 से पात्रता की गणना की मांग करते हुए नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए अधिकारी का दावा-न्यायाधिकरण द्वारा खारिज किया गया। उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दावे की अनुमति दी कि अधिकारियों की पात्रता की गणना 1.1.2001 से की जानी थी-अपील पर कहा गया: अधिकारी नियुक्ति के लिए विचार करने का हकदार नहीं है-चयन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिकारियों की पात्रता की गणना 1 जनवरी से की जानी है। जिस वर्ष एस. सी. एम. की बैठक होती है अर्थात् वर्तमान मामले में 1.1.2002 होगा।

राज्य सरकार ने अपने दिनांकित 25.10.2001 पत्र द्वारा तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग को आवश्यक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। आई. ए. एस. (चयन द्वारा नियुक्ति) के तहत आई. ए. एस. में नियुक्ति के लिए वर्ष 2002 के लिए गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चुनिंदा सूची विनियम, 1997 पत्र विषय शीर्षक में

'2002' की जगह अनजाने में '2001' लिखा गया था। हालांकि, पत्र के विषय में जिसने 1.1.2002 पर 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, उस पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए उसने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर निर्देश की मांग की थी नियुक्ति के लिए उन पर इस आधार पर विचार करने के लिए कि पत्र को देखते हुए चयन सूची 2001 के लिए थी, और उन्होंने 1.1.2001 पर 54 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी। ट्रिब्यूनल ने उनके दावे को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी की रिट याचिका को इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि अधिकारियों की पात्रता की गणना 1.1.2001 से की जानी थी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रथम प्रत्यर्थी पात्र नहीं है और चयन द्वारा आई. ए. एस. के पद पर नियुक्ति के लिए हकदार है, उनके नाम पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय आई. ए. एस. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के विनियम 4 को गलत तरीके से उद्धृत करके प्रथम प्रतिवादी की रिट याचिका को अनुमति देने में सही नहीं है। अभिलेखों से देखा गया है कि भर्ती वर्ष 2002 के लिए प्रस्ताव उस वर्ष प्राप्त हुए थे और अधिकारियों की पात्रता की गणना चयन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार 1 जनवरी, 2002 से की गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों की पात्रता को 1.1.2001 से गिना जाना नियमों और विनियमों का एक गलत व्याख्या है और यह व्याख्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा न केवल राज्य सरकार के लिए बल्कि उन सभी राज्यों/संवर्गों के लिए की गई पूरी चयन प्रक्रिया को शून्य कर देगी जहां चयन विनियमों के तहत चयन किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा नियमों की व्याख्या नियमों और विनियमों की व्याख्या का एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है और यदि इसे अलग नहीं किया जाता है तो चयन विनियमों के तहत आई. ए. एस. में नियुक्ति के लिए अधिकारियों के चयन पर

व्यापक पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि चयन समिति को तब पिछले वर्ष के अधिकारियों की पात्रता पर विचार करने की आवश्यकता होगी न कि वर्तमान वर्ष पर। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के एक पत्र में अनजाने में टंकण संबंधी त्रुटि के तहत पहले प्रतिवादी को राहत दी है।

दिनांकित 25.10.2001 और यह अनिवार्य रूप से वैधानिक नियमों और विनियमों के अक्षर और भावना को गतिरोध उत्पन्न करता है। विनियमन से यह स्पष्ट है कि अधिकारियों की पात्रता की गणना उस वर्ष 1 जनवरी से की जाती है जिसमें एस. सी. एम. की बैठक होती है जो तत्काल मामले में 1.1.2002 होगी।

[627 - सी; 626-डी-जी; 627-ए]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2004 की सिविल अपील सं. 6234

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के डब्ल्यू. पी. सं.9653/2002 में 13.8.2002 दिनांकित निर्णय और आदेश से।

बी. दत्ता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुब्बा राव और पी. परमेश्वरन अपीलार्थी के लिए।

श्रीमती डी. भारती रेड्डी (एन. पी.), बी. कृष्ण प्रसाद (एन. पी.) उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे.:

अनुमति दी गई।

वर्ष 2001 के दौरान, वर्ष 2002 के लिए एक अग्रिम कार्रवाई के रूप में, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के सामान्य प्रशासनिक विभाग ने उनके डी. ओ. पत्र No.1875/Spl.A/2001-02 दिनांकित 25.10.2001 ने वर्ष 2002 के लिए गैर-राज्य

सिविल सेवा अधिकारियों की चुनिंदा सूची तैयार करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को आवश्यक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया।

आई. ए. एस. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत आई. ए. एस. में नियुक्ति। इस पत्र के माध्यम से, राज्य सरकार के विभागों के सभी सचिवों से अनुरोध किया गया था कि वे आई. ए. एस. (चयन द्वारा नियुक्ति) के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों के नाम प्रस्तुत करें ताकि संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे जा सकें। चयन विनियमों के तहत आई. ए. एस. में नियुक्ति के लिए 2002 की सूची का चयन करें। उक्त पत्र के "विषय" शीर्षक में, राज्य सरकार ने अनजाने में संकेत दिया था कि 2002 के बजाय वर्ष 2001 के लिए गैर-अनुसूचित जाति अधिकारियों की चयन सूची तैयार करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालाँकि, उक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में, यह सही कहा गया था कि राज्य सरकार ने आई. ए. एस. में नियुक्ति के लिए 2002 की चयन सूची तैयार करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया था। पत्र के पैराग्राफ 3 में, यह कहा गया था कि वे अभ्यर्थी जो 1.1.2002 पर 54 वर्ष की आयु को पार नहीं कर पाए हैं, पात्र थे।

गैर-समावेशन से व्यथित, आंध्र प्रदेश के एक गैर-एससीएस अधिकारी, प्रथम प्रतिवादी (G.Limbadri राव) ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के समक्ष भारत संघ के खिलाफ 2001 का O.A.No.1711 प्रस्तुत किया था। प्रथम प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष तीन तर्क उठाए:

क) पत्र के विषय के अनुसार, यह उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2001 के लिए आई. ए. एस. में गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन सूची तैयार करने का प्रस्ताव यू. पी. एस. सी. को भेजा जाना है। आवेदक ने तर्क दिया कि पत्र के

पैरा 2 और पैरा 3 में वर्ष 2002 का उल्लेख एक गलती थी। केवल विषय में उल्लिखित वर्ष 2001 है जो कि सही है।

ख) आई. ए. एस. 621 के विनियम 4 (iii) के प्रावधान के संदर्भ में सरकार ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार नहीं करेगी जिसने जनवरी के पहले दिन 54 वर्ष की आयु प्राप्त की, उस वर्ष में जिसमें नाम प्रस्तावित करने का निर्णय लिया जाता , इस प्रकार आवेदक ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र के अनुसार 25.10.2001 पर, जिसमें विषय में यह उल्लेख किया गया था कि नियुक्ति के लिए चयन सूची तैयार करने का प्रस्ताव वर्ष 2001 के लिए आई. ए. एस. के गैर-एस. सी. एस. अधिकारी यूपीएससी को भेजी गई, 2001 की चयन सूची तैयार की जानी है 1.1.2001 पर विचार करें क्योंकि उसने आयु को पार नहीं किया है 54 वर्षों से भारत सरकार ने नियम 16 में संशोधन किया।

(ग) अखिल भारतीय सेवा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ आयु बढ़ाने के लिए नियम, 1958 (उप-नियम (1)) ए. आई. एस. के संबंध में सेवानिवृत्ति 58 से 60 वर्ष तक आईएएस सहित अधिकारी। इसलिए यह उचित है और आनुपातिक रूप से अधिकतम आयु बढ़ाने के लिए उचित अधिनियम के विनियम 5 (3) के तहत आयु सीमा 56 वर्ष तक आई. ए. एस. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 भारत सरकार द्वारा ऐसा करने में विफलता है आवेदक के मौलिक अधिकार को प्रभावित करना जो योग्य है और विचार किए जाने का हकदार है आई. ए. एस. पद पर नियुक्ति। प्राधिकरण ने अपने दिनांकित 1.5.2002 के फैसले को बरकरार रखा सरकार उनका नाम पात्रता सूची में शामिल नहीं करेगी चयन समिति द्वारा चयन सूची तैयार करने के लिए राशन न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" हमारे विचार के लिए मुद्दा यह है कि क्या डी. ओ. पत्र जारी किया गया है। जी. ए. डी. में सरकार के सचिव द्वारा अन्य सचिवों को प्रस्तावों के लिए बुलाना राज्य के प्रस्ताव करने के निर्णय के बराबर है। समिति के विचारार्थ नाम। हमारा मानना है कि कि विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क आवेदक अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं। डी. ओ. पत्र की विषय वस्तु इसमें एक टाइपोग्राफिक गलती है जैसा कि सुपर कोर्ट रिपोर्ट [2004] एस. यू. पी. पी. के लिए एक सादे पत्र पठन से स्पष्ट है।

सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भी सरकार के विभिन्न सचिवों से प्राप्त होने वाले इन प्रस्तावों में से प्रत्येक की जांच करने के लिए पर्याप्त समय लिया जाता है। इसके बाद जी. ए. डी. में सरकार का सचिव सरकार के विचार के लिए समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता है -

नामों को लघुसूचीत करें। विभिन्न विभागों से केवल प्रस्तावों को आमंत्रित करने से आवेदकों को विनियमों के तहत निर्धारित अपने मामलों पर विचार करने का अधिकार नहीं मिलता है। तर्क दिया गया कि आयु सीमा को 54 वर्ष की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 56 वर्ष करने से संबंधित, जैसा कि आवेदकों द्वारा अनुरोध किया गया है, केंद्र सरकार की नीति पर प्रभाव डालने वाला मामला है। हमारा विचार है कि यह केवल आवेदकों के लिए लागू होने वाला मुद्दा नहीं है। हम इस विषय पर कोई भी आदेश पारित करने से बचते हैं क्योंकि आवेदकों को 8.4.2002 पर प्रवेश सुनवाई के दौरान OA 1711/2001 में MA 122/02 वापस लेने की अनुमति दी गई थी।

अपने ओ. ए. की बर्खास्तगी से व्यथित, इसमें पहले प्रतिवादी ने इन आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में 2002 की रिट याचिका प्रस्तुत की।

प्रतिवादी संख्या 1 ने यहां न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने और प्रतिवादी-अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया कि इसमें पहला प्रतिवादी

विनियमों के विनियमन 4 के अनुसार आई. ए. एस. में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र है और यह भी घोषणा करने के लिए कि पात्रता की तारीख को 54 वर्ष से संशोधित नहीं करने में भारत सरकार की कार्रवाई 56 आई. ए. एस. (प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के मामले में किए गए वर्ष अर्थात् विनियम 4 (बी) (2) के तहत 28 वर्ष से 30 वर्ष भेदभावपूर्ण हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत दिए गए उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को उन्हीं कारणों से अनुमति दी। रिट याचिका संख्या 9182 में दिनांकित 13.8.2002 के निर्णय/आदेश में अभिलिखित 2002 का और दिनांकित 2.1.2001 के विवादित निर्णय को रद्द कर दिया। तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी गई और परिणामी निर्देश भी जारी किए गए। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने आयु बढ़ाने के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए पहले प्रतिवादी के तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अदालत द्वारा ऐसी राहत नहीं दी जा सकती है और उच्च न्यायालय से ऐसा कोई भी निर्देश प्रतिवादी-अधिकारियों को कानून के विपरीत कार्य करने के लिए मजबूर करने के समान होगा।

2002 की रिट याचिका No.9182 में निर्णय पारित किया गया जो 623 था, उसी तारीख को, इस अपील में अनुलग्नक के रूप में भी दायर किया गया है। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“.... तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता ने उम्र पार नहीं की है के मामले पर विचार करने के अलावा राज्य सरकार को छोड़ दिया गया इस तरह के समावेशन के लिए याचिकाकर्ता क्योंकि वह 54 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर चुका है 1.1.2001 पर वर्ष। 54 वर्ष की आयु की

प्राप्ति के साथ है वर्ष के जनवरी के पहले दिन का संदर्भ जिसमें निर्णय लिया गया था और रिक्तियों के संदर्भ में नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वर्ष जिसमें नाम प्रस्तावित करने का निर्णय लिया जाता है। मान लीजिए, प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार, प्रस्ताव बुलाए गए हैं। वर्ष 2002 के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए अक्टूबर, 2001 के दौरान प्रस्ताव मांगे गए हैं।"

उपरोक्त कारणों से, उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया दृष्टिकोण याचिकाकर्ता का नाम इस आधार पर शामिल नहीं करना कि उसने 1.1.2002 पर 54 वर्ष की आयु प्राप्त करना बिल्कुल अस्थिर है। प्रत्यर्थियों ने आयु का उल्लेख करने में त्रुटि की है, याचिकाकर्ता को 1.1.2002 पर 54 वर्ष पार करने के रूप में कहने के लिए उस वर्ष का संदर्भ जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं। आवश्यकता यह है कि व्यक्ति की आयु 54 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्ष के जनवरी के पहले दिन का दिन जिसमें राज्य सरकार ने विचार के लिए नाम प्रस्तावित करने का निर्णय लिया है समिति से। केवल 2001 का वर्ष ही प्रासंगिक है।

तारीख 1 जनवरी, 2001 है। मान लीजिए, उस तारीख तक, याचिकाकर्ता 54 वर्ष की आयु को पार नहीं किया है। आक्षेपित निर्णय से व्यथित, उपरोक्त अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गई है। यद्यपि नोटिस की सेवा सभी उत्तरदाताओं के लिए पूर्ण है, लेकिन कोई भी उत्तरदाताओं के लिए उपस्थित नहीं होता है। हमने श्री बी. दत्ता, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को पेश होते सुना अपीलार्थी। विद्वान ए. एस. जी. ने तर्क दिया कि निर्माण द्वारा रखा गया विनियमन 4 पर उच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या पूरी तरह से गलत है और यह कि राज्य सरकार को इसमें पहले प्रतिवादी के मामले पर विचार करना होगा,

क्योंकि उन्होंने 1.1.2001 पर 54 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि रिक्ति को निर्देश के साथ भरा जाना है। जिस वर्ष तक जिसमें रिक्ति उत्पन्न हुई है। अपने तर्कों के अंत में विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अस्थिर है और इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

इस मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों में, कानून का निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है, इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए:

" क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित है कि पहला प्रतिवादी आई. ए. एस. में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के लिए शामिल होने का हकदार है, भले ही वह 1.1.2002 पर 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो।"

दूसरे शब्दों में, संक्षिप्त प्रश्न जो विचार के लिए आता है वह यह है कि वर्तमान अपील यह है कि क्या प्रत्यर्थी ने कोई अवैधता की है जिसमें गैर-समावेशन के लिए पहले प्रतिवादी के मामले पर विचार करने में तैयारी के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव वर्ष 2002 के लिए गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चुनिंदा सूची आई. ए. एस. को इस आधार पर नियुक्ति कि प्रथम प्रत्यर्थी ने प्राप्त कर लिया है 1.1.2002 पर 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इसमें अपीलार्थी के तर्क की सराहना करने के लिए, के विनियम 4 विनियम नीचे दिए गए हैं:

"राज्य सरकार विचार के लिए प्रस्ताव समिति को भेजेगी

(1) राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार करेगी जो राज्य सिविल सेवा से संबंधित नहीं है, लेकिन राज्य सिविल सेवा में सेवारत है।

(i) उत्कृष्ट योग्यता और क्षमता का है और राज्य के मामलों के संबंध में जो,

(ii) एक महत्वपूर्ण क्षमता में राजपत्रित पद धारण करता है और

(iii) उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन राज्य सरकार के तहत निरंतर सेवा के कम से कम 8 वर्ष पूरे कर चुका है जिसमें उसके मामले पर किसी भी पद पर विचार किया जा रहा है जिसे राज्य सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद के बराबर घोषित किया गया है और 625 का प्रस्ताव है।"

समिति के विचार के लिए व्यक्ति विचार के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या समिति की संख्या पाँच गुना से अधिक नहीं होगी। वर्ष के दौरान प्रस्तावित रिक्तियों को भरा जाना है। बशर्ते कि राज्य सरकार विचार नहीं करेगी एक व्यक्ति का मामला जिसने 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वर्ष की जनवरी का पहला दिन जिसमें निर्णय लिया जाता है विचार के लिए नाम प्रस्तावित करने के लिए लिया गया समिति। बशर्ते कि राज्य सरकार ऐसा नहीं करेगी, पहले की चयन सूची, केंद्र द्वारा नियुक्त नहीं की गई है विनियमन के प्रावधानों के अनुसार सरकार 9 इन नियमों के बारे में।"

हमारे सामने इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पहले प्रतिवादी की तारीख जन्म की आयु 20.1.1947 है और उसने 20.1.2001 पर 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। यह पहले प्रत्यर्थी का मामला है कि अन्य उत्तरदाताओं ने चयन प्रक्रिया को 25.10.2001 पर शुरू किया है, जिसमें पात्र गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के प्रस्तावों को चयन सूची में शामिल करने के लिए उनके मामलों पर विचार करने के लिए कहा गया है। यह आगे तर्क दिया गया कि पहले प्रतिवादी का नाम उक्त सूची में शामिल किया जाना चाहिए था क्योंकि वह सभी अपेक्षाओं को संतुष्ट करता है। जैसा कि दिनांक 2.1.2002 के विवादित आदेश से स्पष्ट है, उत्तरदाताओं-अधिकारियों ने इसमें पहले प्रतिवादी का नाम पूरी तरह से इस आधार पर शामिल करने से इनकार कर दिया कि 2001 के दौरान उत्पन्न रिक्तियों के संबंध में प्रस्ताव भेजे जाने की

आवश्यकता है और जो 1.1.2002 पर उपलब्ध हैं और जिस दिनांक तक पहले प्रतिवादी ने 1.1.2002 पर 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।

हम पहले ही विनियमों के विनियम 4 को निकाल चुके हैं जो यह स्पष्ट करें कि राज्य सरकार प्रस्तावों पर विचार करते समय उस व्यक्ति के मामले पर विचार करना आवश्यक है जो राज्य सिविल सेवा से संबंधित नहीं है, लेकिन राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है, जो उत्कृष्ट योग्यता और क्षमता का है और एक महत्वपूर्ण क्षमता में राजपत्रित पद रखता है और जिसने उस वर्ष जनवरी के पहले दिन राज्य सरकार के तहत कम से कम 8 साल की निरंतर सेवा पूरी की है जिसमें उसे राज्य सिविल सेवा में उप-कलेक्टर के पद के बराबर घोषित किया गया है। राज्य सरकार को ऐसे लोगों के नाम प्रस्तावित करने होते हैं जिनके पास समिति के विचार के लिए ऐसी योग्यताएँ हैं।

हालांकि, परंतुक में कहा गया है कि राज्य सरकार उस व्यक्ति के मामले पर विचार नहीं करेगी जिसकी आयु 54 वर्ष हो गई है, उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन जिसमें समिति के विचार के लिए नाम प्रस्तावित करने का निर्णय लिया जाता है। इसमें प्रथम प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि जैसा कि दिनांक 1 के डी. ओ. पत्र से स्पष्ट है, राज्य सरकार ने विनियमों के प्रावधानों के तहत आई. ए. एस. में नियुक्ति के लिए वर्ष 2002 के लिए गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चुनिंदा सूची तैयार करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को आवश्यक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है।

हमारी राय में, उच्च न्यायालय विनियमन 4 को गलत तरीके से उद्धृत करके प्रथम प्रतिवादी की रिट याचिका को अनुमति देने में सही नहीं है। अभिलेखों से पता चलता है कि भर्ती वर्ष 2002 के लिए प्रस्ताव उस वर्ष प्राप्त हुए थे और अधिकारियों की पात्रता की गणना चयन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार 1 जनवरी, 2002 से की

गई थी। उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि अधिकारियों की पात्रता को 1.1.2001 से गिना जाना चाहिए, नियमों और विनियमों की गलत व्याख्या है और यह व्याख्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा न केवल आंध्र प्रदेश सरकार के लिए बल्कि उन सभी राज्यों/संवर्गों के लिए की गई पूरी चयन प्रक्रिया को निष्फल कर देगी जहां चयन विनियमों के तहत चयन किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा नियमों की व्याख्या नियमों और विनियमों की व्याख्या का एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण नहीं है और यदि इसे अपास्त नहीं किया जाता है तो चयन विनियमों के तहत आई. ए. एस. में नियुक्ति के लिए अधिकारियों के चयन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि तब चयन समिति को इन पर विचार करने की आवश्यकता होगी -

पिछले वर्ष के अधिकारियों की पात्रता और वर्तमान वर्ष की नहीं। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के दिनांक 25.10.2001 के एक पत्र में अनजाने में टंकण संबंधी त्रुटि के तहत पहले प्रतिवादी को राहत दी है और यह अनिवार्य रूप से वैधानिक नियमों और विनियमों के अक्षर और भावना को गतिरोध उत्पन्न करता है। "विषय" में दिनांकित डी. ओ. पत्र 25.10.2001 में टंकण संबंधी त्रुटि जैसा कि निर्दिष्ट है: - आई. ए. एस. वर्ष 2001 के लिए आई. ए. एस. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1997 के तहत आई. ए. एस. में नियुक्ति के लिए गैर-एस. सी. एस. अधिकारियों की सूची का चयन करें। हालांकि, शेष पैरा में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। पात्रता 1.1.2002 पर थी जैसा कि पैराग्राफ 2 और 3 में इंगित किया गया था, कि विभिन्न विभागों से प्रस्ताव बुलाए गए थे।

विनियमन से यह स्पष्ट है कि अधिकारियों की पात्रता है -

जिस वर्ष एससीएम की बैठक होती है, उस वर्ष 1 जनवरी से गणना की जाती है जो तत्काल मामले में 1.1.2002 होगी।

विनियम 4 के प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार उस व्यक्ति के मामले पर विचार नहीं किया जाएगा जिसने 54 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उस वर्ष के जनवरी के पहले दिन जिसमें समिति के विचार के लिए नाम प्रस्तावित करने का निर्णय लिया जाता है। तत्काल मामले में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रस्ताव जनवरी, 2002 राज्य सरकार द्वारा भेजा गया था, इसलिए, 1.1.2002 पर, पहले उत्तरदाता ने 54 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

हमारी राय में, पहला प्रतिवादी पात्र और हकदार नहीं हैचयन द्वारा आई. ए. एस. के पद पर नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार करना। पूर्वगामी कारणों से, हमारी राय है कि आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अरक्षणीय है और इसे अपास्त किया जा सकता है। तदनुसार, हम अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

के. के. टी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हरीश कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।